संख्या- 20/2015/386/71-आयुष-2-2015-01(बजट)/2015

प्रेषक,

नीलेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी, उ00,
लखनऊ

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज आजमगढ में अधिकरियों/कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त अपने पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/प्लान/14-15/1611, दिनांक 04.02.15 व पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/प्लान/14-15/4068, दिनांक 25.03.15 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज आजमगढ में अधिकरियों/कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या- 383-71-आयुष-2-2015-01 (बजट)/2015 दिनांक 30;03;2015 द्वारा राजकीय निर्माण निगम उ0प्र0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

3- इकाई प्रभारी आजमगढ अ उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 आजमगढ द्वारा उपलब्ध करायें गये आगणन रूपये 455;78 लाख (रूपये चार करोड पचपन लाख अटहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 34 के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान रूपये 970;21 लाख में से रूपये 227;89 लाख (रूपये दो करोड सत्ताईस लाख नवासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृत श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यायर्वतन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2. प्रयोजना का निर्माण कार्य समयान्तर्गत अवश्य पूर्ण कराया जायेगा।

3. प्रयोजना के कार्यान्वयन एवं कार्य की गुणवत्ता आदि का दायित्व निदेशक, होम्योपैथी उ0प्र0 लखनऊ / सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/ बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

5. प्रयोजना प्रस्ताव/ आगणन में कोटेशन/बाजार दरों पर आधारित कार्य मदों पर व्यय न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कराया जाय।
6. प्रस्तावित बॉट आउट आइटम्स श्रेणी के कार्यमदों का व्यय सुसंगत वित्तीय व्यय के अधीन किया जायेगा।
7. उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22.7.2014 में निर्धारित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के सुसंगत दिशा निर्देशो एवं निर्माण कार्य की औचारिकताओ का अनुपालन सुनिचित कर लिया जाय।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34- लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-09-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22;07;2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:- 20/2015/386(1)/71-आयुष-2-2015/ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी आजमगढ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक उ0 उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ ।
5- इकाई प्रभारी आजमगढ अ उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0
6- गार्ड फाइल।
7-

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।